

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0)

क्रमांक : 650 / 2026

उज्जैन, दिनांक- 11/08/2026

आदेश

मैं अश्विन परमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 (1) एवं 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से यातायात थाने के संबंध में संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 20/04/2026 में आंशिक संशोधन करते हुए माह अगस्त 2026 के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

कॉलम नंबर 2 वाले दिवस में प्रस्तुत यातायात समरी प्रकरण कॉलम नंबर 3 के मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत होगी तथा कॉलम नंबर 3 मजिस्ट्रेट के अवकाश की स्थिति में कॉलम नंबर 4 के मजिस्ट्रेट के यहां एवं कॉलम नंबर 3 एवं 4 के मजिस्ट्रेट के अवकाश की स्थिति में कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट के यहां यातायात थाने की समरी प्रकरण प्रस्तुत होंगे। उक्त मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में संबंधित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी प्रकरणों की सुनवाई कर विधिवत निराकरण करेंगे :-

क	दिवस	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4	5
1.	सोमवार	श्रीमती पूजा भदौरिया	सुश्री दीपिका यादव	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा
2.	मंगलवार	सुश्री सृष्टि पटेल	सुश्री पारुल जैन	सुश्री दीपिका यादव
3.	बुधवार	श्री अनुराग शर्मा	श्रीमती पूजा भदौरिया	सुश्री पारुल जैन
4.	गुरुवार	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा	सुश्री सृष्टि पटेल	श्रीमती पूजा भदौरिया
5.	शुक्रवार	सुश्री दीपिका यादव	श्री अनुराग शर्मा	सुश्री सृष्टि पटेल
6.	शनिवार	सुश्री पारुल जैन	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा	श्री अनुराग शर्मा

यह आदेश दिनांक 12/08/2026 से प्रभावशील होगा।

Sd/-
(अश्विन परमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिलिपि :- 650 -

क्रमांक : 650/1 / 2026

उज्जैन, दिनांक- 11/08/2026

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- श्री/श्रीमती/कु. सम. ए. सी. जे. एम. / जे. एम. एफ. सी. उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ई-मेल/वाट्सअप के माध्यम से प्रेषित।
- 3- अध्यक्ष अभिभाषक संघ, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- थाना प्रभारी, थाना यातायात उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि प्रस्तुत किये जाने वाले समरी प्रकरण आवश्यक रूप से प्रतिदिन 03:00 बजे से पूर्व (वर्तमान न्यायालयीन समय अनुसार) संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

11/08/2026
(अश्विन परमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)